



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।  
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

पत्रांक: केयू/ मान्यता /2019/ 1197

दिनांक: 31/12/2019

सेवा में,

प्राचार्य

ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,  
हल्द्वानी, (नैनीताल)।

महोदय,

मा० कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक पत्रांक-296/ जी०एस०/ शिक्षा/ A4-135-11/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 में एक बार समाधान के आधार (One Time Solution) पर दिये गये पूर्वानुमोदन एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 142वीं विशेष बैठक दिनांक 06.12.2019 के मद सं० 02 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके समुख अंकित सत्रों की नवीन/अस्थाई सम्बद्धता निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, साथ तो यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त सम्बद्धता एक बार समाधान के आधार पर प्रदान की गयी है इसको भविष्य हेतु दृष्टान्त न समझा जाए एवं आगामी सत्रों की सम्बद्धता हेतु अपने स्तर की समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:

क्रमसं०	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1.	बी० एड०। (100 सीट)	सत्र 2015-17 से 2017-19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इस की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के संबंध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंसी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्रों के प्रवेश से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

8. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ शैक्षिक-शिक्षणत्तर फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुये, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
9. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
10. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० छात्र/छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
11. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेतर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय को प्रस्ताव निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना होगा, निर्धारित समय तक प्रस्ताव प्राप्त न होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
12. संस्थान को सम्बद्धता इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि वे अपने संस्थान में स्वच्छता अभियान, वाटर हार्वेस्टिंग तथा सोलर एनर्जी के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

४० /  
कुलपति

पृ०सं०: केयू/मान्यता/2019-20/1197

तददिनांक ३१/१२/२०१९

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल / कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

कुलसाहयेव